

28859



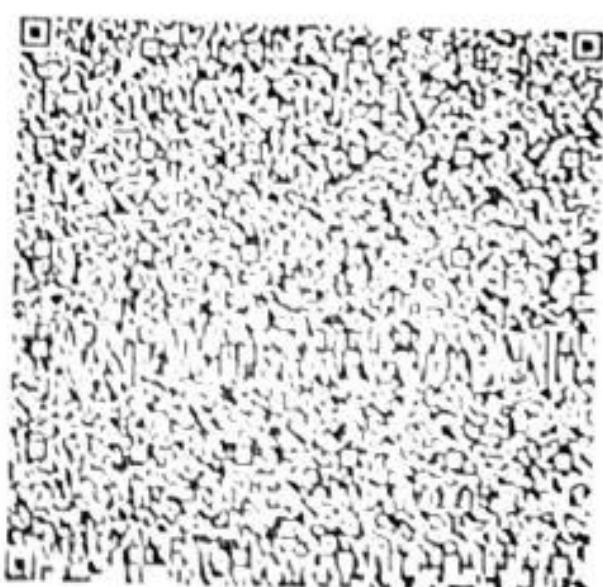
सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP04187629814816Q
Certificate Issued Date	: 05-May-2018 09:22 AM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ GREATER NOIDA/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHCIL0105392430967756Q
Purchased by	: ROHIT ALLOYS PVT LTD
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: RESIDENTIAL PLOT VILLAGE-CHHAPRAULA G.B.NAGAR
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: ROHIT ALLOYS PVT LTD
Second Party	: DHARAMRAJ CONTRACTS INDIA PVT LTD
Stamp Duty Paid By	: ROHIT ALLOYS PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 8,53,000 (Eight Lakh Fifty Three Thousand only)



.....Please write or type below this line.....

TQ 0001467774

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.sholestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



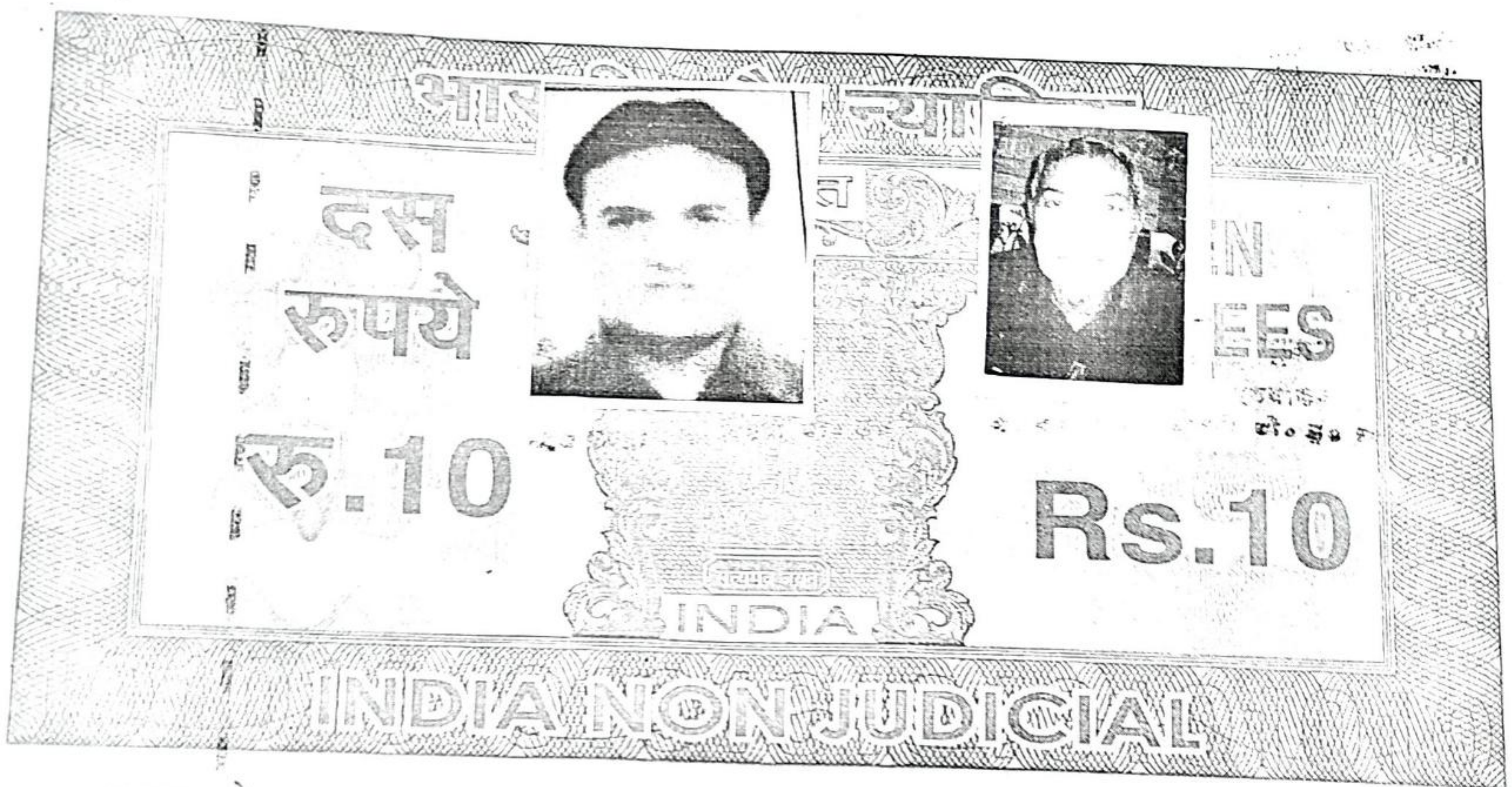
Warning



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence"

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AD 995342

2

विक्रय-पत्र

ई-स्टाम्प सं०-UP04487529814816 Q दिनांक-05-05-2018

यूनीक कोड 120225-0751-0-000-12

बैनामा अंकन-1,70,52,500/-रुपये

स्टाम्प अंकन-8,53,000/- रुपये

-
- #-विक्रित प्लॉट के विक्रय पर सरकारी दर अंकन-9500/-रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से स्टाम्प अदा किया गया है।
 - #-विक्रित प्लॉट मुख्य सड़क जी० टी० रोड या रेलवे रोड पर स्थित नहीं है।
 - #-विक्रित प्लॉट ग्राम समाज भू-दान व पट्टे आदि की भूमि में स्थित नहीं है।
 - #-विक्रेता अनुसूचित जाति व जन जाति से नहीं है।
 - #- फरीक अव्वल संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है।
 - #-विक्रित प्लॉट में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है प्लॉट खाली है।
-

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

क्रम संख्या 15
 स्टाम्प विक्रय की तिथि
 स्टाम्प क्रय करने का प्रायोजन
 स्टाम्प क्रय का नाम व पुरा पता
 स्टाम्प की रकम 10
 स्टाम्प क्रय करने का दिनांक 05-05-2018
 स्टाम्प क्रय करने का स्थान 1044

S-5018

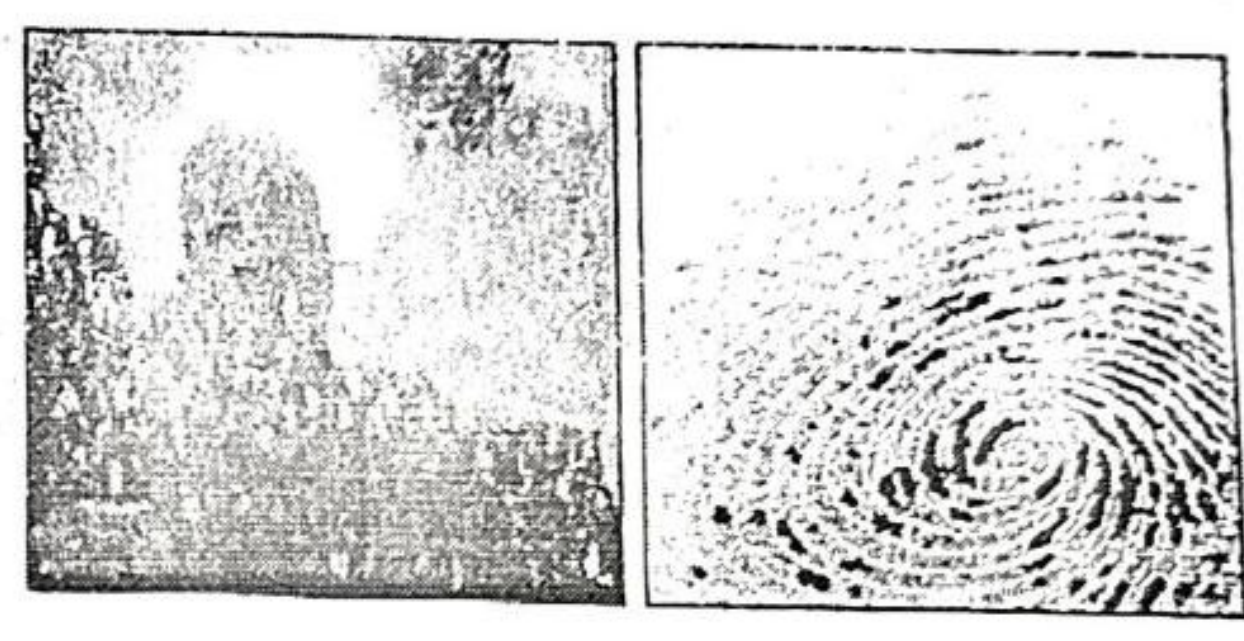
रजिस्ट्रार का-ट्रेडिंग डाइरेक्टर 30180
 853000-22, इंदिरा गांधी नगर

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 17052500 स्टाम्प शुल्क- 853000 बाजारी मूल्य - 17053000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 20060

श्री धर्मराज कन्ट्रेक्ट्स इण्डिया प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर सिंह राज सिंह,
 पुत्र श्री रघुवर सिंह
 व्यवसाय : व्यापार
 निवासी: अभिषेक प्लाजा थर्ड फ्लोर पार्ट सेकेण्ड मयूर विहार, नई दिल्ली

(Signature)



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 05/05/2018 एवं 04:35:47 PM बजे
 निगमन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature)

नरेन्द्र कुमार लंसल
 उप निबंधक दादरी
 गौतम बुद्ध नगर

प्रिंट करें





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2

30AD 995343

उ० प्र० सरकार संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग -5 अधिसूचना संख्या 1-सं० वि० क० नि० -5-2756/11-2008-500(1165) / 2007 लखनऊ दिनांक- 30 जून 2008 के अनुसार, शेड्यूल 1 के अनुसार 5 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

मैं कि मैसर्स रोहित एलॉयज प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर मनीष अग्रवाल पुत्र श्री विजय कुमार निवासी के० डी० 41, कविनगर गाजियाबाद तहसील व जिला गाजियाबाद मो० न०-9810156440, पैन कार्ड न०-AAACR4276Q (फरीक अव्वल / विक्रेता)

एवम

धर्मराज कन्ट्रेक्ट्स इण्डिया प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर सिंहराज सिंह पुत्र श्री रघुवर सिंह निवासी अभिषेक प्लाजा थर्ड फ्लोर पार्ट सेकेण्ड, पॉकेट बी, मयूर विहार सेकेण्ड, नई दिल्ली-91 मो० न०-9910217387, पैन कार्ड सं०-AADCDD3348Q (फरीक दोयम / क्रेता)

[Signature]

[Signature]

क्रमा संख्या
स्टाम्प विक्रय की तिथि
स्टाम्प प्राप्त करने का पंजीजन
स्टाम्प लेने का नाम व पता
हस्ताक्षर
उक्त
विक्रेता : 1

16
15
5-5-010
निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार

उक्त
विक्रेता : 1

श्री मैसर्स रोहित एलोज प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर
मनीष अग्रवाल, पुत्र श्री विजय कुमार

निवासी: के डी 41 कविनगर गाजियाबाद

व्यवसाय: व्यापार

क्रेता : 1



श्री धर्मराज कन्ट्रेक्ट्स इण्डिया प्रा० लि० द्वारा
डायरेक्टर सिंह राज सिंह, पुत्र श्री रघुवर सिंह
निवासी: अभिषेक प्लाजा थर्ड फ्लोर पार्ट सेकेण्ड
मयूर विहार, नई दिल्ली

व्यवसाय: व्यापार



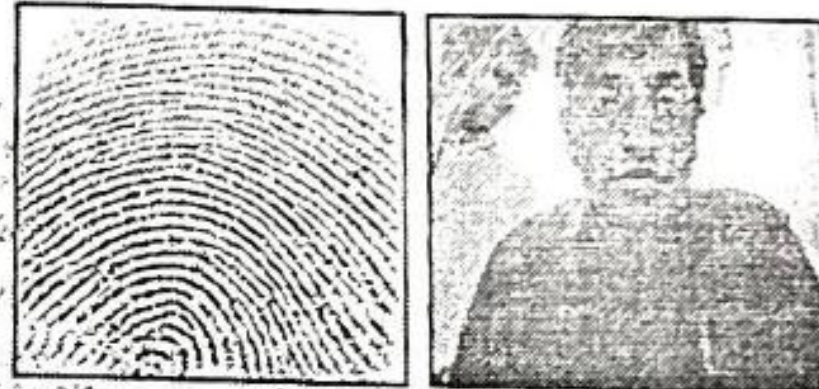
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री संजीत सिंह, पुत्र श्री ओमपाल सिंह

निवासी: ग्राम पाली आनन्दगढी जिला बुलन्दशहर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2



श्री चंचल शर्मा, पुत्र श्री दुलीचन्द शर्मा

निवासी: ग्राम खेडा धर्मपुरा माजरा छपरौला दादरी
जिला गौतमबुद्धनगर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

नरेन्द्र कुमार जैसल
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AD 995344

4

विदित हो कि मुझ फरीक अब्बल का एक किता खाली आवासीय प्लॉट स्थित ग्राम छपरौला परगना व तहसील दादरी जिला गौतमबुद्ध नगर के के खसरा न0-751 मे से रकबा 0.1795 हैक्टेयर यानि कि 1795 वर्ग मीटर को इस बैनामा हाजा मे फरीक दोयम को वास्ते आबादी विक्रय किया गया है। क्रेता ने विक्रित प्लॉट का मौका मुआयना व सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर के ही बैनामा करा रहे है। विक्रय प्लॉट आज दिन तक हर प्रकार के आड रहन बय आदि से व किसी प्रकार की लेनदारी व देनदारी आदि से पाक व साफ है कही किसी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी ऋण आदि से ग्रस्त नही है। तथा फरीक अब्बल ही उक्त प्लॉट को विक्रय करने के अधिकारी है। अतः मुझ फरीक अब्बल ने स्वेच्छा से शुद्ध बुद्धि व प्रसन्नचित मुद्रा मे बिना किसी दबाव या बहकाव के आज की तारीख मे अपने उपरोक्त प्लॉट को फरीक दोयम उपरोक्त को कुल कीमत अंकन-1,70,52,500/रु0 में बेच दिया व कतई बय कर दिया है। समस्त विक्रित धनराशि पूर्व में ही चैकों एवं आर0टी0जी0एस0 आदि के द्वारा वसूल पा ली है। कुछ भी बाकी नही रहा है। उक्त प्लॉट का मौके पर कब्जा फरीक दोयम का करा दिया है आज के बाद उक्त प्लॉट से फरीक अब्बल मय वारिसान का किसी प्रकार का कोई वास्ता व ताल्लुक नही रहा है। उक्त प्लॉट

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AD 995345

5

का अब से पहले कोई इकरारनामा महायदाबय नहीं हुआ है आज के बाद उक्त प्लॉट का फरीक दायम मय वारिसान ही हर तरह से मालिकाना हक में लाकर लाभ उठाने का हकदार होगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी यदि फरीक अव्वल के अधिकार के अभाव के कारण उक्त प्लॉट का कुल या कोई अंश फरीक दायम के कब्जे से निकल जाता है तो ऐसे हालात में फरीक दायम को अधिकार होगा कि वह मुझ फरीक अव्वल की चल अचल सम्पत्ति से उस नुकसान की भरपाई कर ले, मुझे व मेरे वारिसान को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं होगा। बैनामा का समस्त खर्चा विक्रेता द्वारा वहन किया गया है। मसौदाकर्ता ने मौका नहीं देखा है क्रेता व विक्रेता और गवाहान के कथन पर मसौदा तैयार किया गया है तथा दोनों पक्षों को समक्ष गवाहान बैनामा पढ़ कर सुनाया गया है।

विक्रित प्लॉट की चतुर्थ सीमा निम्न प्रकार है।

पूरब-प्लॉट अन्य, पश्चिम-रास्ता 23.5 फुट चौड़ा कच्चा, उत्तर-भूमि धर्मराज कन्द्रेक्टस इण्डिया प्रा० लि०, दक्षिण-प्लॉट अन्य का है।

Devi

Devi



नाम
 स्थान विज्ञान की विधि
 स्थापना करने का
 स्थापना करने का

५०

५

१०

१०५

९-५-०८





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

30AD 995346

अतः यह बैनामा लिख दिया कि सनद रहे व समय पर काम आवे चस्पा
फोटो गवाहान के कथन पर केवल सत्यापित किये है। इति।

Signature

गवाह-न0-1 संजीत सिंह पुत्र श्री ओमपाल सिंह निवासी ग्राम पाली आनन्दगढी, पोस्ट
रघुनाथपुर जिला बुलन्दशहर। मो0 न0-9999857428

Subject

गवाह-न0-2 चंचल शर्मा पुत्र श्री दुलीचन्द शर्मा निवासी ग्राम खेडा धर्मपुरा माजरा छपरोला
दादरी जिला गौतमबुद्धनगर मो0 न0-9311884427

Chanchal

दिनांक-05-05-2018 मसौदाकर्ता जयपाल सिंह नागर एडवोकेट

तहसील कम्पाउंड दादरी गौतमबुद्धनगर।

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 11818 के पृष्ठ 203 से 218 तक
क्रमांक 8859 पर दिनांक 05/05/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



नरेन्द्र कुमार जैसल
उप निबंधक : दादरी
गौतम बुद्ध नगर

प्रिंट करें

श्रीमान जी,

सेलमन धर्माणा पत्र द्वारा चमन सिंह S/o सिंगराज सिंह मि 0-152 Sec-51 नोटा की जोच आख्या आपके ओदेशनार्थ निम्नलिखित है।

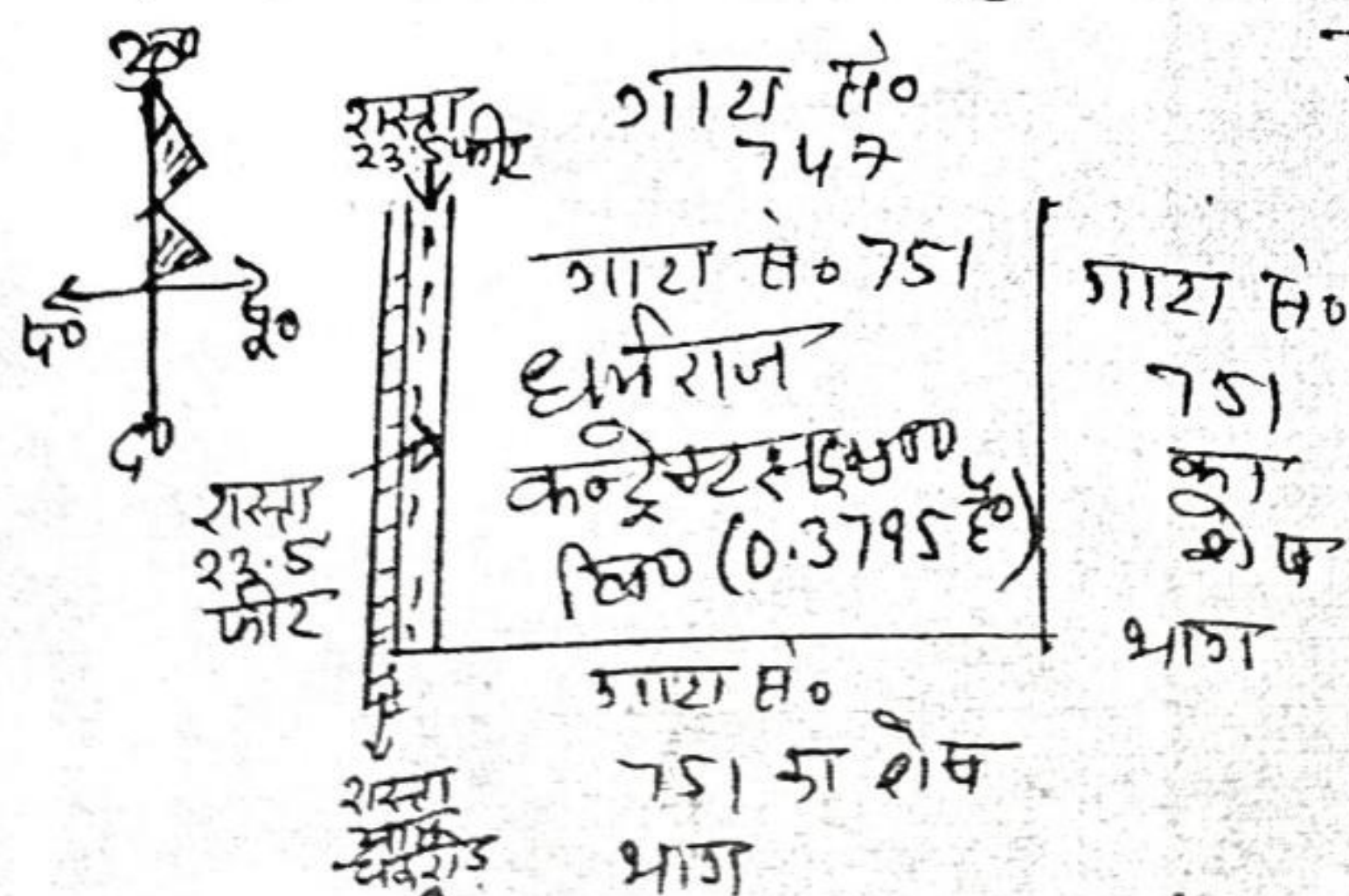
उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उपर्युक्त उकरा की अभिलेखीय एवं स्थलीय जोच की गई। भूमि स्थित ग्राम इपराणा खेती की 40 वर्ष 1424-1429 के खाला से 0 158 गाटा से 751 रकबा 0.4290 है में से 0.3795 है धर्मराज कन्ट्रेक्टर द्वारा लि. द्वारा एथरेक्टर सिंदराज पुत्र श्री रघुवर सिंह मि अधिकृत लाजा बर्ड प्लोर पाई सेकेंड पोडेट की भूयुक्त विहार सेकेंड नई दिल्ली-9। कर्तोर सेक्रेमणीय भूमिधार भालिक काबिज दर्ज कागजात है। सेलमन विनियमानुसार उपरोक्त वर्णित भूमि की चतुर दिशाएं निम्नलिखित है। वर्णित भूमि 2 विनियमनों से क्रय की गई है।

पूरव- लार अन्य पश्चिम - रास्ता 23.5 फुट

उत्तर- खसरा से 747 दक्षिण में - लार अन्य

नजरी नम्बरा शर्जै अनुसार व अन्य साक्ष्यों के आधार पर

आख्या सेवा में नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



नजरी नम्बरा आख्या का अंग

20/05/2019

सुरील यादव
लेखपाल
तहसील दादरी
मंत्र इपराणा

सुरील यादव
लेखपाल
तहसील दादरी
मंत्र इपराणा

न्यायालय

उपजिलाधिकारी

दादरी

गौतमबुद्धनगर

वाद सं० 24 / 06

धारा- 143 जं० वि० अधि०

रोहित ऐलोऐज प्रा० लि०

बनाम

सरकार आदि

ग्राम- छपरौला तह०

दादरी

जिला गौतमबुद्धनगर।

क्रमांक सं० १३०
१०-९-०७

निर्णय दि० १०-९-०७

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी के प्रार्थना पत्र के आधार पर जारी किया गया। जिसमें वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में इंगित किया है कि प्रार्थी रोहित ऐलोऐज प्रा० लि० द्वारा मनीष अग्रवाल पुत्र श्री विजय अग्रवाल के वादत गाटा सं० 746 रकबा 0-16-14 पुख्ता, गाटा सं० 747 रकबा 1-5-19 पुख्ता गाटा सं० 751 रकबा 1-10-0 पुख्ता और गाटा सं० 744 रकबा 2-9-0 पुख्ता कुल पांच कित्ता रकबा 6-2-3 पुख्ता स्थित ग्राम छपरौला के मालिक व काबिज संक्रमणीय भूमिधर हैं। दौरान चकवन्ती के चक्र करसंख्या 20अ के गाटा सं० पुराना 384 रकबा 2-9-10 पुख्ता में आवदादी/उद्योग निर्माण की अनुमति हेतु धारा 5ग(1) के अन्तर्गत अनुमति संख्या 399 विधिवत प्राप्त कर ली थी साथ दी गई निर्धारित अवधि में ही मौका पर आवदादी का निर्माण कर लिया था। जिसके पश्चात मा० न्यायालय के समक्ष धारा 143 जं० वि० अधि० के अन्तर्गत आवदादी दर्ज किये जाने की कार्यवाही की। इसके अतिरिक्त लेखपाल से भी राजस्व अभिलेखों में नियमानुसार आवदादी दर्ज करने को कहा किन्तु इंकार के बाद पुन मा० न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार प्रार्थी ने उक्त भूमि को आवदादी दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार दादरी से कराई गई। तहसीलदार दादरी ने अपनी जांच आख्या में इंगित किया है कि खाता सं० 761 के खसरा सं० 744 रकबा 0.6260 व 747 रकबा 0.3290 व खाता सं० 784 के खसरा सं० 746 रकबा 0.2100 तथा खाता सं० 191 के खसरा सं० 151ग के क्षेत्रफल पर आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। मौके पर उक्त भूमि में 6 फिट से 8 फिट तक की उंचाई में चार दीवारी बनी है, तथा 8 कमरे टीन शीट एवं गार्डर पत्थर की छत के बने हैं। दीवार में दो स्थान पर पील्स के उपर टीन शीट बना है। उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कृषि कार्य, दागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, गतरस पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। इस प्रकार उक्त भूमि को धारा 143 अकृषिक/औद्योगिक उपयोग घोषित किया जाना उचित होने की आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है। नियमानुसार वाद दर्ज रजिस्टर कर पक्षों को नोटिस जारी किये गये।

नोटिस जारी होने के उपरान्त सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें इंगित किया गया है कि वादी का प्रार्थना पत्र वास्तविकता तथ्यों व मौका के विरुद्ध है। प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं है। भूमि अकृषिक नहीं है और न ही कृषि के अयोग्य है। प्रार्थी ने आवश्यक कागजात नहीं दिये हैं। प्रार्थी ने वादग्रस्त खेत का कुल रकबा तथा उसके कितने क्षेत्र में कितना तरफ कितने नापों की किस हदु दरजा की घोषणा चाही गई है, न लिखा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र देने हेतु सक्षम नहीं हैं। प्रार्थना पत्र अनुचित लाभ उठाने के लिये दिया गया है। मौके पर प्रार्थी की आवदादी पूरे खेत में नहीं दाने हुई है, और राज्य सरकार को राजस्व हानि करने के लिये प्रार्थना पत्र दिया गया है। क्षेत्र में औद्योगिक विकास होने के कारण समय-समय पर भूमि का अर्जन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। जिससे आवदादी घोषित होने के कारण राज्य सरकार को अधिक प्रतिफल देना पड़े, इस कारण से आवदादी घोषित कराई जा रही है। जिसका कोई औचित्य नहीं है। आवदादी की घोषणा होने से राज्य सरकार को हानि है, आवदादी की घोषणा का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। वाद के सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व से विधिक अभिमत प्राप्त किया गया। जिसमें जिला

9810987964
70m

शासकीय अधिकार राजस्व ने अपने विधिक अभिमत में कहा है कि उक्त के सम्बन्ध में मरा अभिमत है कि रोहित ऐलोजेज प्रा० लि० बनाम सरकार आदि सं० 24/06 वार 143 ज० वि० अधि० ग्राम छपरीला के वाद को आपके द्वारा निस्तारित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रेटर नौएडा की अधिसूचना जारी होने के पश्चात ज० वि० अधि० में वाद को (अवैट) करने का कोई प्राविधान नहीं है। वाद के सभी पक्षकारों को सुनकर गुण दोष पर निर्णित किया जाना उचित होगा।

पक्षों को सुना गया। नाभिका अधिकार (राजस्व) ने अपने तर्क में कहा है कि यदि उक्त भूमि गैर कृषि भूमि प्रख्यापित की जाती है तो भू-राजस्व की क्षति होगी, और इस प्रकार उक्त वाद की कार्यवाही चलाने में न होने के कारण वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने पर बल दिया है। वादी ने अपने तर्क में कहा है कि उक्त भूमि में राजस्व का हित निहित नाम मात्र का है, चूंकि यदि उक्त भूमि कृषि कार्य में होने के कारण जो राजस्व प्राप्ति होगी उससे कहीं अधिक उक्त भूमि अकृषिक होने के वाद वहां के सर्किल रेट में बढ़ोतरी होने के कारण आने वाले समय में बैनामा आदि होने के कारण स्टाम्प के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी। उक्त भूमि पर निर्माण कार्य होने के बाद अकृषिक रूप में प्रयोग हो रही है। तहसीलदार दादरी ने अपनी जांच आख्या में उक्त भूमि पर निर्माण कार्य होकर अकृषिक कार्य होने के कारण उक्त भूमि को अकृषिक भूमि प्रख्यापित किये जाने की आख्या प्रस्तुत की है। वादी के अधिकार ने तर्क दिया है कि अकृषिक भूमि धांधले करने हेतु उसका प्रार्थना पत्र दिनांक 25.01.2006 से विचारधीन है। मौके पर चार दीवारी बना ली गई है। मौके पर किसी प्रकार का कृषि कार्य, मतस्य पालन, कुक्कुट पालन आदि कार्य नहीं किया जा रहा है। अग्रेतर यह भी कहा है कि ज० वि० अधि० की धारा 143 के अनुसार कार्यवाही परगनाधिकारी द्वारा भूमिधर के प्रार्थना पत्र पर अथवा स्वमेव की जा सकती है। यू० पी० नगर निगम एवं विकास नियोजन 1973 तथा यू० पी० इन्डस्ट्रीयल डवलपमेंट एक्ट 1976 में ऐसा कहीं भी कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया है कि इन दोनों अधिनियमों के तहत अधिसूचना जारी होने व उसके उपरान्त उ० प्र० ज० वि० अधि० के तहत कार्यवाही बाधित हो जायेगी। इस प्रकार उक्त भूमि को गैर कृषि भूमि प्रख्यापित किये जाने पर बल दिया है। जिला शासकीय अधिकार दीवानी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी विधिक राय में भी इंगित किया गया है कि उ० प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 उ० प्र० शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 अन्य विकास नियोजन पर ही प्रभावी है तथा पूर्व से प्रचलित अधिनियम यू० पी० जेड० ए० एण्ड एल० आर० एक्ट० पर प्रभावी नहीं है। मा० उच्च न्यायालय द्वारा आर० डी० 205(98) पृष्ठ 707 गैरिनो एक्सपोर्ट प्रा० लि० व अन्य बनाम अपर आयुक्त मेरठ मण्डल व अन्य में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया है:-

U.P.Z.A. & L.R. Act 1951, Section 113 U.P.Z.A. Rules 1952-Rules 135- Scope of (Para 8)

"U.P. Urban planning & Development act 1973,- U.P.Z.A. & L.R. Act 1951- field of operate on Totally distinct and different - No overlapping to each other (Para 10)

"U.P.Z.A. & L.R. Act 1951-section 143- Application under liable to be considered independently under the provisions of the act and rules and despite the applicability of the provisions of the U.P. Urban planning and development act 1973 to the area (para 13)

"U.P.Z.A. & L.R. Act 1951- Section 143- Proceedings under violation of provisions of U.P. Urban planning and development act 1973. have nothing to with the declaration sought under section 143 of the act-F=Direction issued to Asst. Collector to issue declaration under section 143 the act with in 6th weeks (para 15-17)"

चूंकि विधि का सिद्धान्त उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन व विकास अधिनियम 1973 व उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 पर समान रूप से लागू होता है। जिस कारण दोनों ही

अधिनियमों के प्राविधान उपरोक्तानुसार यू0पी0 जैड0ए0 एण्ड, एल0आर0एक्ट0 पर प्रभावी नहीं है। जिस कारण उक्त अधिनियम के अन्तर्गत संचालित न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत उक्त प्राधिकरण आवश्यक पक्षकार नहीं है। जिस कारण उनके द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की विधि अनुसार कोई आवश्यकता नहीं है, तथा धारा 143 के अन्तर्गत वाद का निरतारण सक्षिप्त प्रक्रिया के तहत नियम 135 के अन्तर्गत मौके की जांच के अनुसार किया जाता है। ग्राम में घुसपैठ प्रक्रियाओं के प्रारम्भ होने पर ही दीवानी व अन्य राजस्व न्यायालयों के स्वत्व व आवादी की उदघोषणा से सम्बन्धित वाद वकवन्दी न्यायालयों को (अवैट) किये जाते हैं। जिस कारण वर्तमान प्रक्रिया में वाद (अवैट) होने का कोई प्रश्न अन्तरनिहित नहीं है। इसके अतिरिक्त वाद बिन्दू संख्या 3 के सम्बन्ध में मत है कि धारा 143 ने उदघोषणा के पश्चात भी उक्त भूमि पर भवन आदि के विकास हेतु ग्रेटर नौएडा इन्टरनैशनल डवलपमेंन्ट ऐरिया विल्डिंग्स रैगुलेशन 1992 के रैगुलेशन 5 के अन्तर्गत विल्डिंग प्लान स्वीकृत कराया जाता है। जैसा कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद डिवीजन बैंच द्वारा आर0डी0 1992 पृष्ठ 504 सतीश चन्द्र व अन्य बनाम स्टेट व यू0पी0 व अन्य जो कि ग्रेटर नौएडा से ही सम्बन्धित है में मत व्यक्त किया है कि जिस कारण बिन्दू संख्या 3 पर भी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि ग्रेटर नौएडा न तो इस प्रक्रिया के अन्तर्गत पक्षकार होगा और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना विधि के अन्तर्गत बाध्यकारी नहीं है। जिस कारण ग्रेटर नौएडा द्वारा जारी किसी प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता नहीं है। उपरोक्तानुसार विधिक दृष्टि से आपके द्वारा धारा 143 के अन्तर्गत उदघोषणा किये जाने में कोई विधिक बाधा नहीं है। पक्षों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि, पशुपालन नहीं हो रहा है। उक्त भूमि को यदि गैर कृषि भूमि प्रख्यापित किया जाता है तो उक्त भूमि में राजस्व का हित निहित नाम मात्र का है। चूंकि उक्त भूमि कृषि कार्य में न होने के कारण जो राजस्व प्राप्ति होगी उससे अधिक उक्त भूमि अकृषिक होने के बाद वहां के सर्किल रेट में बढ़ोतरी होने के कारण आने वाले समय में बैनामा आदि होने के कारण स्टाम्प के रूप में राजस्व की प्राप्ति होगी। इस कारण उक्त भूमि को गैर कृषि भूमि प्रख्यापित किये जाने से गू-राजस्व की क्षति नहीं है और नू-राजस्व की क्षति भी है तो नाम मात्र की है। आर0डी0(एच) श्री आर0 के0 शर्मा सदस्य राजस्व परिषद द्वारा निगरानी सं0 146(जैड) वर्ष 1997-1998, 3 नवम्बर 2000 विरिप्रंग मिडोज सर्वोदय रियल्टंस प्रा0 लि0 बनाम स्टेट आफ उ0प्र0 में उल्लेख किया है कि धारा 142 अधिनियम के अन्तर्गत भूमिधर अपनी भूमि को किसी भी प्रयोग में ला सकता है। इस न्यायालय द्वारा ग्रेटर नौएडा को जारी पत्र सं0 2605/रीडर-एस0डी0एम0-दादरी/06 दिनांक 12.04.2006 के जवाब में ग्रेटर नौएडा की महाप्रबन्धक (नियोजन) श्रीमति रेखा देवानी द्वारा ग्राम अछैजा व धूमनानिकपुर का कोई भी भूअधिग्रहण प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। ग्राम छपरौला के कुछ भूमि को ग्रेटर नौएडा के कब्जे में होना बताया है। प्रार्थना पत्रों एवं आख्या में उक्त भूमि पर निर्माण है तथा उक्त भूमि को गैर कृषि प्रख्यापित किये जाने से राजस्व की भी क्षति नहीं है और क्षति है भी तो नाम मात्र की। यदि उक्त भूमि अकृषिक भूमि प्रख्यापित की जाती है तो उससे वहां की सर्किल रेट भी बदल जायेगा तथा भविष्य में कय विक्रय होने पर तथा आने वाले समय में स्टाम्प की बढ़ोतरी होगी। मा0 सदस्य राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा भी जारी परिभादेश सं0 8164/5-49ए/03 दिनांक 28.1.2004 द्वारा आदेश दिये गये हैं कि प्रदेश में बढ़ते शहरीकरण एवं आवादी के दबाव के कारण काफी बड़ी मात्रा में कृषि भूमि का उपयोग आवादी के रूप में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से किया जा रहा है तथा कृषि भूमि का उपयोग आवादी के रूप में शहरी एवं कस्बों की सीमा से लगे क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में उनकी प्रविष्टियां अद्यावधिक न किये जाने से स्टाम्प के रूप में राजस्व का अपवर्धन हो रहा है। पक्षकार प्रायः भूखण्ड के टुकड़े हो जाने के कारण लेखपत्रों का निबन्धन नहीं कराते हैं और यदि कराते भी हैं तो आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक दरों पर स्टाम्प शुल्क न देकर कृषि भूमि की दरों पर स्टाम्प शुल्क अदा कर रहे हैं और अन्तरित क्षेत्रफल के कृषि भूमि होने की पुष्टि में राजस्व अभिलेखों की पूर्विष्टियां प्रस्तुत करते हैं। परगना के सहायक कलेक्टर के द्वारा ऐसी संक्रमणीय भूमिधरी वाली कृषि भूमि जो कृषि से इतर कार्यों में उपयोग में लाई जा रही है को किसी प्रार्थना पत्र अथवा स्वप्प्रेरणा से अधिनस्थ राजस्व अधिकारियों की आख्या प्राप्त कर नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत सुसंगत आदेश पारित कर उसकी एक प्रति

Scanned by TapScanner